

खारीज  
25.11.2024

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

2024/331

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
सावत्री बनाम कृष्णा आदि  
वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 159 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
26.04.2024	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 28.05.2024 को पेश हो।	
20.5.2024	<p>कुलाए कसकन उपास्थत/PU माह 49 वर्ष          पत्रावली 25.7.2024          दिनक 25.7.2024</p>	
26.7.2024	<p>कुलाए कसकन उपास्थत/PU माह 49 वर्ष          पत्रावली 26.7.2024          दिनक 26.7.2024</p>	
7.10.2024	<p>कुलाए कसकन उपास्थत/PU माह 49 वर्ष          पत्रावली 6.12.2024          दिनक 6.12.2024</p>	
25.11.2024	<p>वकील वकी ने पार्सना - फा मिवात पेसी पेश कले पर पत्रावली को पेसी में लिया गया। वकील वकी ने सिविल डिवा डि वह वह पत्र आगे नही चलाना चाहेते है। मौजूदा सिविल में खारीज करवाना चाहेते है। इत वह पत्र मौजूदा सिविल में खारीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर काउ लवरीज तकरीत जल्हा हाखिल हफ्तार हो।</p>	<p>पुकरांको          नही चलाना          फादली          RTI          सावत्री          I by me          fsh</p>

सहायक उपखण्ड अधिकारी  
रावतसर

